(18) (126)

राजस्व मंडल ग्वालियर कैंप

न्यायालय श्रीमान् ~~आयुक्त महोदय~~, रीवा संभाग, रीवा (म0प्र0)

10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत दस रुपये TEN RUPEES
10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 INDIA दस रुपये TEN RUPEES

विलोपित / विलोपित

R-2463-II/12

2071

आज 26.7.12 को प्राप्त

रामपाल सिंह तनय श्री चौहर्जा सिंह, उम्र 65 वर्ष, पेशा-सेवानिवृत्त कर्मचारी, निवासी ग्राम कूड़ी तहसील त्योंथर, जिला-रीवा (म0प्र0)

--------आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम

बुद्धू कोल तनय साधू कोल, उम्र 50 वर्ष, पेशा मजदूरी, निवासी ग्राम कूड़ी तहसील त्योंथर, जिला-रीवा (म0प्र0) -----अनावेदक./गैर निगरानीकर्ता

अधिवक्ता श्री प्रभाकर सिंह द्वारा प्रस्तुत रीवा. दिनांक 31.5.12

31.5.12

आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 250 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता.

~~निगरानी~~ आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 29 ~~50~~ म0प्र0 भू-राजस्व संहिता.

लंबित प्रकरण माननीय नायब तहसीलदार वृत्त गढ़ी, तहसील त्योंथर, जिला-रीवा (म0प्र0) प्रकरण क्रं. 11/अ/70-09-10 रामपाल सिंह विरूद्ध बुद्धू कोल. पेशी दिनांक 26.8.2010 से

महोदय,

निगरानी आवेदन-पत्र के आधार निम्न है :-

(1) यह कि आवेदक/निगरानीकर्ता आराजी नं. 173 जुज रकवा 0.32 एकड़ निगरानीकर्ता की पुस्तैनी आबादी है जिसपर आवेदक/निगरानीकर्ता ने आवास व एक पक्का कूप तथा पशु गृह आदि का ~~संग~~ संसाधन निर्मित है जिस पर अनावेदक गैर-निगरानीकर्ता द्वारा अवैध रूप से आबादीकी भूमि को शासन की भूमि बताकर कब्जा करने के प्रयास में है। जिस हेतु अधीनस्थ न्यायालय नायबतहसीलदार सर्किल गढ़ी के यहां धारा 250 म0प्र0 भू-राजस्व

क्रमश:2/-

31/5/12

31/5/12

(18)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग02463–III /2012 जिला–रीवा

रामपाल सिंह/बुद्धू कोल

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाश सिंह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी ना0 तहसीलदार, वृत्त गढ़ी, तहसील त्योंथर के प्रकरण क्रमांक 11/अ–70/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 26.08.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.06.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	